

23 SEP 2021

रांची

इक्फाई विश्वविद्यालय में विधि छात्रों के लिए मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन

इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड में विधि संकाय द्वारा एक अंतर-विश्वविद्यालय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 14 टीमों, प्रत्येक टीम में 2 लॉ स्टूडेंट्स शामिल थे। इस मूट कोर्ट प्रतियोगिता का विषय "भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराधों की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार" से संबंधित था।

प्रतियोगिता 22 से 24 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई थी, और इसमें प्रारंभिक दौर, सेमीफाइनल और अंतिम दौर शामिल था। श्री प्रशांत कुमार सिंह, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और श्री अमित कुमार दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के सेमीफाइनल निर्णायक जज थे। जबकि श्री राजेश कुमार पांडे, सचिव, झारखंड स्टेट बार काउंसिल, श्री नमन कंबोज, पार्टनर, लिटिगो लॉ चेम्बर्स और श्री विवेक सिंह, वरिष्ठ अधिकारी-कानूनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड के फाइनल निर्णायक जज थे।

जजों के पैनल और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रो. ओ.आर.एस. इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति राव ने कहा, जिस समस्या का चयन किया गया वह न केवल कानून के छात्रों के लिए बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए भी दिलचस्पी का विषय है, क्योंकि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह आज की डिजिटल दुनिया में और भी अधिक प्रासंगिक है, जहां संचार बहुत तेजी से और कई बार विकृत होता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। प्रो राव ने कानूनी शिक्षा की प्रक्रिया में मूट कोर्ट की भूमिका पर भी प्रकाश डाला क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके माध्यम से कानून के छात्रों को सैद्धांतिक कानूनी शिक्षा को वाद-विवाद अभ्यास में बदलने का अवसर मिलता है।

न्यायाधीशों के पैनल ने याचिका और प्रतिवादी दोनों टीमों की दलीलें सुनीं और सर्वोच्च न्यायालय के वैधानिक प्रावधानों और संबंधित मामले के फैसलों पर शोध करने के लिए टीम के सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के प्रयासों की भी सराहना की ताकि इसके कानून के छात्रों को पेशेवर अधिवक्ताओं के रूप में तैयार किया जा सके।

श्री नावेद हैदर, सुश्री अनुपमा और सुश्री सृष्टि की टीम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया और सुश्री जान्हवी पांडे, सुश्री निशा मिश्रा और सुश्री प्रज्ञा सिंह की टीम उपविजेता रही। सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार सुश्री जान्हवी पांडे को प्रदान किया गया।

प्रोफेसर आकृति गुप्ता ने कार्यक्रम की एंकरिंग की और सुश्री मानसी गोयल, बीबीए-एलएलबी 5वें सेमेस्टर की छात्रा कोर्ट की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कोर्ट-मास्टर थीं। कार्यक्रम का संचालन प्रो. अविनाश कुमार भारती एवं प्रो. मोनिका वर्मा ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव प्रो. आलोक कुमार, एचओडी, विधि संकाय, डॉ. भगवत बारिक, सहायक डीन और अन्य संकाय सदस्यों, विश्वविद्यालय के छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

=====